14/C

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ 18(आई--24)आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/1430-1629 दिनांक : 26/2/2010

परियोजना प्रबन्धक एवं
अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन),
जिला परिषद

विषय :- **प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :- **आयुक्तालय का परिपत्र कमांक एफ.18(आई--24)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2009--10/864 दिनांक 23.2.2010 के कम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनान्तर्गत स्वीकृत नवीन जलग्रहण परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दू गतिविधियों के चयन एवं कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा--निर्देश प्रासंगिक परिपत्र द्वारा जारी किये गये है।

जलग्रहण परियोजनाओं की कियान्विति हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त--2008 के पैरा 50 में प्रवेश बिन्दू गतिविधि अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यों में ऊर्जा शक्यता का विकास सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत जलग्रहण परियोजना क्षेत्र के गांवों में सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, जिससे निर्बाध रूप से सार्वजनिक स्थानों/सड़क आदि पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, ग्रामवासियों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत अपनाने हेतु प्रेरित किया जा सके।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार के डी.जी.एस. एण्ड डी निदेशालय द्वारा सोलर लाईटिंग सिस्टम हेतु अनुमोदित दर के अनुबन्ध की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। परियोजना क्षेत्रों के ग्रामों में सार्वजनिक स्थानों/रोड आदि पर सौलर लाईटिंग सिस्टम स्थापित करने की यदि आवश्यकता हो तो, प्रस्ताव ग्राम सभा से अनुमोदित करा कर सम्बन्धित जिले के परियोजना प्रबन्धक द्वारा सीधे ही इस कार्य के लिए अधिकृत फर्म राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड, 2, कनकपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर को सप्लाई आदेश भिजवाये जाकर इसी वित्तीय वर्ष में जलग्रहण परियोजनाओं में सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

संलग्न : दर अनुबन्ध प्रति

आयुक्त

कमांक : एफ.18(आई--24)आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/1430-1629 दिनांक : 26/2/2010

प्रतिलिपि :--

1. अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस.), आयुक्तालय, जयपुर।
4. उपनिदेशक (प्रशासन/ आईडब्ल्यूएमपी/ ग्रामीण विकास/ प्रशिक्षण/ गुण नियंत्रण), आयुक्तालय, जयपुर।
5. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
6. सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.), पंचायत समिति ....
7. श्री संजय चारण, वरिष्ठ अधिशाषी अधिकारी, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड, 2, कनकपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, सिरसी रोड, जयपुर (मोबाईल-- 9829021312) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त